आवेदन की प्रक्रिया

1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को विभाग की वेबसाईट https://ayurved.rajasthan.gov.in, https://dsrrau.info पर उपलब्ध ऑन लाईन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिए गए दिशा–निर्देशों , विस्तृत विज्ञापन एवं सम्बन्धित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाई आवेदन करें।

2. ऑन लाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाईन पोर्टल https://ayurved.rajasthan.gov.in, https://dsrrau.info पर उपलब्ध Apply online link को Click करें अथवा एसएसओ (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen App (G2C) में उलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration करना होगा।

3. प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। इसके पश्चात् राज्य सरकार के निर्देशानुसार फीस (सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी रू. 600/–, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रू. 400/–, दिव्यांगजन रू. 400/–) का भुगतान करें। अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थियों को उक्त पंजीयन शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है तथा पंजीयन शुल्क जमा करा दिया गया है। वह अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/ संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।

5. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई. डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क जमा करते समय अपना मूल निवास स्थान, वर्ग तथा दिव्यांगता स्थिति का विवरण सही दर्ज कर पंजीयन शुल्क जमा करें। पंजीयन शुल्क जमा होने के पश्चात उक्त विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/ SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण (जैसे – नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम इत्यादि) का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें।

6. अभ्यर्थी One Time Registration का कार्य अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की One Time Registration संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।

8. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या e-Mail पर सम्पर्क करें।

9. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन–लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

10. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।

11. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंवे।

12. विभाग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।

14. Online Application Form में वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंवे तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधान हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।